न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 59/2018

1 शुद्धकंवर पुत्री चंदरसिंह उर्फ चांदसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल ग्राम पुरा बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र गुमानाराम (मृतक) जाति हरिजन।
1/1 तीजू देवी पत्नी मांगीलाल जाति हरिजन।
1/2 महेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन।
1/3 ताराचन्द पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन।
1/4 भंवरी देवी पुत्री मांगीलाल जाति हरिजन।
2 मोहनलाल पुत्र गुमानाराम जाति हरिजन।
3 त्रिलोकाराम पुत्र गुमानाराम जाति हरिजन।
4 महावीर पुत्र केशर जाति हरिजन।
5 भंवरलाल पुत्र मुकनाराम जाति हरिजन।
6 महेश पुत्र मुकनाराम जाति हरिजन।
7 श्रीमती लादू देवी पत्नी मुकनाराम जाति हरिजन।
8 अमरी कंवर पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत।
9 सुप्यार कंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत।
10 बाबूलाल पुत्र मुकनाराम जाति राजपूत निवासीगण श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
11 उप पंजियक धोद जिला सीकर।
12 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 12.12.2015
बउनवानी मांगीलाल वगैरह बनाम अमरी कंवर आदि
मुकदमा नम्बर 143/2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग
आर.ए.एस. द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपील।

उपस्थिति :

1. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:—25.03.2022—

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 7 ने एक दावा संख्या 143/2015 विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 12 जरिये अधिवक्ता दिनांक 15.06.2015 को विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के यहां बाबत उद्घोषणा अधिकार, दुरस्ती इन्द्राजात एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं 136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 ने वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 2.49 हैक्टेयर खातेदारी श्रीमती सायर कंवर बेवा चान्द सिंह, दुलसिंह पुत्र तख्तसिंह जाति राजपूत एवं खसरा नम्बर 471 रकबा 1.70 हैक्टेयर खातेदार अमरी कंवर बेवा नन्दसिंह सुप्यार कंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत प्रस्तुत कर उक्त आराजी में खसरा नम्बर 463 सम्पूर्ण में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का प्रत्येक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

का 1/5 तथा रेस्पोडेंट 5 व 6 तथा रेस्पोडेंट संख्या 10 का संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा की जावे तथा संख्या नम्बर 471 में से 10 बिस्वा की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 उद्घोषणा की जावें तथा वादग्रस्त कृषि आराजी में से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 के हक अधिकार की भूमि 7 बीघा 7 बिस्वा की हद तक रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा सायर कंवर अपीलांट की माता व दुलसिंह का नाम हजब कर रेस्पोडेंट संख्याा 1 ता 7 के हिस्से के लिए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 463 व 471 के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 10 प्रतिवादीगण के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी को अन्तरित परिवर्तित ना करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। का वाद यह कथन करके पेश किया कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पूर्वज घासी की थी और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 व 10 घासी के वारिसान है। और राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट 8 ता 9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट की माता सायर कंवर का नाम सहवन से अंकित हो जाने तथा इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्तरण व प्रभारित करने के लिए दिनांक 05.05.2015 को धमकी देने तथा वादीगण की कब्जा काश्त में दखल करने का वाद कारण बताकर तथा खसरा नम्बर 463 की खातेदारी सांयर कंवर की मृत्यु हो जाने तथा उसका कोई वारिसान जीवित नही होने का कथन कर अपीलांट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये प्रस्तुत किया जो वाद विचारण न्यायालय द्वारा केवल सरसरी तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 के दावे में मिथ्या कथनों के आधार पर मात्र 6 माह के भीतर उक्त अपीलाधीन आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.12.2015 रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 10 के पक्ष में पारित कर दिया। अपीलांट को इसकी जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 463 व 471 अपीलांट की माता सायर कंवर की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसमें से अपीलांट की माता सायर कंवर ने कुछ भूमि का बेचान पूर्व में ही जरिये इकरार नन्दसिंह पुत्र पदम सिंह के नाम कर दिया था शेष भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 2.49 हैक्टेयर अपीलांट की माता सायर कंवर एवं दुलसिंह के नाम दर्ज रही। वर्तमान में दुलसिंह व सायर कंवर की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी एकमात्र वारिस अपीलांट ही है। दुलसिंह बचपन से ही अपने भाई चांदसिंह के पास रहा जो अविवाहित था और उसकी परवरिश व पालन पोषण अपीलांट के पिता चांदसिंह उर्फ चन्दर सिंह द्वारा ही की गई अपीलांट के पिता चांद सिंह की मृत्यु होने पर अपीलांट की माता सायर कंवर के साथ रहने लगा व पुरा बडी में आवास निवास करने लगे तथा दुलसिंह की मृत्यु होने पर उसका किया कर्म गंगा स्नान, अस्थि विसर्जन आदि अन्तिम संस्कार के कार्य अपीलांट व सायर कंवर ने ही किये। इस कारण दुलसिंह की 1/2 हिस्से की भूमि सायर कंवर बेवा चान्दसिंह उर्फ चन्दर सिंह के नाम से पड़ी है सायर कंवर की मृत्यु हो चुकी है जिस आराजी पर अपीलांट काबिज होकर कश्त करती चली आ रही है जिस पर अपीलांट के अलावा किसी अन्य को कोई कब्जा काश्त व अधिकार नही है। जिसकी एकमात्र वारिस अपीलांट शुद्वकंवर ही है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपीलांट को कायम मुकाम बनाये बिना विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित नही करने से अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है, अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट मृतक सांयर कंवर की पुत्री नही है बल्कि सांयर कंवर के भाई की जायन्दा पुत्री है। विवादित भूमि में सांयर कंवर का भी कोई हक हिस्सा नही था। सांयर कंवर द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

अपना हक हिस्सा नन्दसिंह को विक्रय कर दिया गया था। अपीलांट का विवादित भूमि से कोई सम्बंध नही है। अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे विवादित भूमि अथवा सांयर कंवर की विरासत अपीलांट को प्राप्त होना प्रकट होता हों। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा विलम्ब का दिन प्रतिदिन की देरी का कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 463 व 471 अपीलांट की माता सायर कंवर की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसमें से अपीलांट की माता सायर कंवर ने कुछ भूमि का बेचान पूर्व में ही जरिये इकरार नन्दसिंह पुत्र पदम सिंह के नाम कर दिया था शेष भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 2.49 हैक्टेयर अपीलांट की माता सायर कंवर एवं दुलसिंह के नाम दर्ज रही। वर्तमान में दुलसिंह व सायर कंवर की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में अपीलांट का कथन रहा है कि सांयर कंवर की एकमात्र वारिस अपीलांट ही है। दुलसिंह बचपन से ही अपने भाई चांदसिंह के पास रहा जो अविवाहित था और उसकी परवरिश व पालन पोषण अपीलांट के पिता चांदसिंह उर्फ चन्दर सिंह द्वारा ही की गई अपीलांट के पिता चांद सिंह की मृत्यु होने पर अपीलांट की माता सायर कंवर के साथ रहने लगा व पुरा बडी में आवास निवास करने लगे तथा दुलसिंह की मृत्यु होने पर उसका किया कर्म गंगा स्नान, अस्थि विसर्जन आदि अन्तिम संस्कार के कार्य अपीलांट व सायर कंवर ने ही किये। इस कारण दुलसिंह की 1/2 हिस्से की भूमि सायर कंवर बेवा चान्दसिंह उर्फ चन्दर सिंह के नाम से पड़ी है सायर कंवर की मृत्यु हो चुकी है जिस आराजी पर अपीलांट काबिज होकर कश्त करती चली आ रही है जिस पर अपीलांट के अलावा किसी अन्य को कोई कब्जा काश्त व अधिकार नही है। जिसकी एकमात्र वारिस अपीलांट शुद्वकंवर ही है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने अपीलांट को कायम मुकाम बनाये बिना विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित नही करने से अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है, अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। पक्षकारो के हक हकुको का निर्णय साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सांयर कंवर के स्थान पर पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्याायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर